

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/56/19

प्रवेश तिथि
10-10-2019

निर्णय दिनांक
13-01-2020

- 1-यस बैंक लि० एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय यस बैंक टावर आईएफसी 2, 15 वां तल, सेनापति बापत मार्ग, एल्फीनस्टोर (पश्चिम) मुम्बई में स्थित व कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय भू-तल 294/295 ई, औद्योगिक क्षेत्र भिवाडी (राज०) में स्थित व कार्यरत है।

प्रार्थी

—::बनाम ::—

- 1-वृष्टी ट्रेडर्स जरिये प्रोपराइटर श्री उषा रानी
पता :-दुकान नं० 95 पुरानी सब्जी मण्डी तोउडू हरियाणा-122105
- 2-श्रीमती उषा रानी
पता :-डीएच-58 ए, वार्ड नं० 08 फौजी कॉलोनी तोउडू हरियाणा-122105
दूसरा पता :- वृष्टी ट्रेडर्स दुकान नं० 95 पुरानी सब्जी मण्डी तोउडू हरियाणा-122105
- 3-श्री तेज सिंह
पता :- डीएच-58 ए, वार्ड नं० 08 फौजी कॉलोनी तोउडू हरियाणा -122105
- 4-श्रीमती मिश्रो देवी
पता :-डीएच-58 ए, वार्ड नं० 08 फौजी कॉलोनी तोउडू हरियाणा -122105
दूसरा पता :- दुकान नं० सी-19 पुरानी कॉलोनी भिवाडी राजस्थान-301019

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की श्रीमती मिश्रो देवी की व्यावसायिक सम्पत्ति जो दुकान नं० सी-19 पुरानी कॉलोनी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भिवाडी राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि व ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 13.50 वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में दुकान नं० सी'18, दक्षिण में दुकान नं० सी -20, पूर्व में दुकान नं० सी-6, पश्चिम में सडक को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी

प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)


कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार, तिजारा (अलवर) को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी (अलवर) को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(इन्द्रजीव सिंह)
जिला कलेक्टर
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

